न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, एवम् न्याय निर्णयन अधिकारी, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी –श्री महेन्द्र लोढ़ा

सिविल प्रकरण संख्या 27/14 तारीख रजू 25/11/14

राजस्थान सरकार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी,सवाईमाधोपुर। –आवेदक

बनाम

1. श्री लाजपत राय माहेश्वरी पुत्र श्री श्रीचन्द माहेश्वरी मैसर्स लाजपत राय मुकेश कुमार बजरिया पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर निवासी वेयर हाउस कॉलोनी जिला सवाई माधोपुर । – अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11)

::निर्णय:: दिनांक: 6.7.18

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेंजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 24/10/13 को 11:00 ए.एम. पर दल के सदस्य श्री राजेश कुमार रामचन्दानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ जिला सवाई माधोपुर में मैसर्स लाजपत राय मुकेश कुमार बजरिया सवाई माधोपुर पर पहुँचा। वहां पर श्री लाजपत राय पुत्र श्री श्रीचन्द माहेश्वरी विक्रेता की हैसियत से उपस्थित थे .तथा विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका) 500 मि0ली0 के कुल 31 पाउच जिन पर **B.N0.(G)VP-5** एवं पैकेचिंग दिनांक 24/07/13 अंकित है विक्रय हेतु रखे हुए थे। आवदेक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया विक्रेता ने मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति प्रस्तुत की जिसमें विक्रेता ही मालिक होना पाया गया तत्पश्चात् विक्रय हेतु रखे खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका) का मिसब्राण्ड होने का शंक होने पर नमूना लेने हेतु मालिक को अवगत कराया गया तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिती में तैयार कर खाद्य करोबार कर्त्ता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहां। जिसे खाद्य करोबार कर्त्ता ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं नमूने की सभी औपचारिकता पूर्ण कर उक्त नमूना सील्ड लिफाफे में खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एफएसएसएल/2013/415 दिनांक 21.11.13 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका) मिसब्राण्ड, सबस्टेण्डर्ड एवं अनसेफ प्रकृति का पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट से विक्रेता संतुष्ट नहीं होने के कारण विक्रेता के आवेदन पर नमुने के द्वितीय भाग को रेफरल प्रयोगशाला गाजियाबाद में जांच हेतु भिजवाया गया था। जिसका जांच सर्टिफिकेट निदेशक रेफरल फुड लेबोरेट्री गाजियाबाद की सर्टिफिकेट सं0 460/**AUG/14-RAJ** दिनांक 04/08/14 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका) अवमानक पाया गया। अभियुक्त से क्रय बिल की प्रति चाही जाने पर अभियुक्त द्वारा मैसर्स नन्दकिशोर एण्ड संस सब्जी मण्डी सवाई माधोपुर द्वारा क्रमांक 1507 दिनांक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

08/10/13 को जारी किया गया बिल की प्रति उपलब्ध करवाई तथा मैसर्स नंदकिशोर एण्ड संस सब्जी मण्डी सवाई माधोपुर द्वारा क्रय बिल की प्रति चाही जाने पर मैसर्स नन्दकिशोर एण्ड संस सब्जी मण्डी सवाई माधोपुर ने दिनांक 21.04.2014 को स्वयं उपस्थित होकर अपना जबाब शपथ पत्र के रूप में एवं खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका) की क्रय बिल क्रमांक 1507 दिनांक 08.10.13 नोटरी से प्रमाणित करवा कर पेश किया एवं शपथ पत्र में यह बताया कि उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका) 500 मि0ली0 का कोई विक्रय अभियुक्त को नहीं किया गया है। विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका) अवमानक का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्न तलब किया गया। अभियुक्तगण मय वकील उपस्थित हुआ। अभियुक्त द्वारा जबाब प्रस्तुत करने पर अभियोजन अधिकारी व वकील अभियुक्त की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा कि अभियुक्त से क्रय बिल की प्रति चाही जाने पर अभियुक्त द्वारा मैसर्स नन्दकिशोर एण्ड संस सब्जी मण्डी सवाई माधोपुर द्वारा क्रमांक 1507 दिनांक 08/10/13 को जारी किया गया बिल की प्रति उपलब्ध करवाई तथा मैसर्स नंदकिशोर एण्ड संस सब्जी मण्डी सवाई माधोपुर द्वारा क्रय बिल की प्रति चाही जाने पर मैसर्स नन्दकिशोर एण्ड संस सब्जी मण्डी सवाई माधोपुर ने दिनांक 21.04.2014 को स्वयं उपस्थित होकर अपना जबाब शपथ पत्र के रूप में एवं खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका) की क्रय बिल क्रमांक 1507 दिनांक 08.10.13 नोटरी से प्रमाणित करवा कर पेश किया एवं शपथ पत्र में यह बताया कि उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका) 500 मि0ली0 का कोई विक्रय अभियुक्त को नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा सही क्रय बिल की प्रति प्रस्तुत नहीं करने के कारण निर्माता को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा अभियुक्त द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय करने का दोष साबित है। अतः अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों क हवाला देते हुए बहस में निवेदन किया है कि अभियुक्त द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ पैक अवस्था में खरीदा था । जिसमें अभियुक्त द्वारा मिलावट का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है तथा आवेदक द्वारा उक्त प्रकरण में निर्माता को पक्षकार नहीं बनाया है, बिना निर्माता को पक्षकार बनाये प्रार्थी को दण्डित नहीं किया जा सकता है। रेफरेल प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिस–ब्राण्ड पाया गया है। जिसमें कोई मिलावट नहीं पाई गई है। सिल्ड पैकिट में खुदरा व्यापारी किसी भी प्रकार का दोषी नहीं होता है। आवेदक द्वारा अभियुक्त पर मनगढन्त आरोप लगाये है जो निरर्थक है, साथ ही वकील अभियुक्त ने अनुरोध किया कि आवेदक द्वारा खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 की धारा 27 के अर्न्तगत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का श्रम करे।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अभियुक्त द्वारा उक्त प्रकरण में निर्माता को पक्षकार नहीं बनाने के कारण उक्त खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 की धारा 27 के अर्न्तगत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। आवेदक की बहस एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेज के अनुसार आवेदक ने अभियुक्त से क्रय बिल की प्रति चाही थी। जिस पर अभियुक्त द्वारा मैसर्स नन्दकिशोर एण्ड संस सब्जी मण्डी सवाई माधोपुर द्वारा क्रमांक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

1507 दिनांक 08/10/13 को जारी किया गया बिल की प्रति उपलब्ध करवाई तथा मैसर्स नंदकिशोर एण्ड संस सब्जी मण्डी सवाई माधोपुर द्वारा क्रय बिल की प्रति चाही जाने पर मैसर्स नन्दकिशोर एण्ड संस सब्जी मण्डी सवाई माधोपुर ने दिनांक 21.04.2014 को स्वयं उपस्थित होकर अपना जबाब शपथ पत्र के रूप में एवं खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका) की क्रय बिल कमांक 1507 दिनांक 08.10.13 नोटरी से प्रमाणित करवा कर पेश किया एवं शपथ पत्र में यह बताया कि उक्त खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका) 500 मि0ली0 का कोई विक्रय अभियुक्त को नहीं किया गया है। मैं आवेदक के इस तथ्य से सहमत हुँ कि अभियुक्त द्वारा सही बिल की प्रति पेश नहीं करने के कारण निर्माता को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा रेफरल प्रयोगशाला गाजियाबाद के जांच सर्टिफिकेट निदेशक रेफरल फुड लेबोरेट्री गाजियाबाद की सर्टिफिकेट सं0 460/**AUG/14-RAJ** दिनांक 04/08/14 के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ वनस्पति (जायका) अवमानक पाया गया।

उक्तांकित विवेचन के आधार पर अभियुक्त खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011 की धारा 26 (2) (।।) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित हैं तथा चूकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध प्रथम बार किया जाना पाया जाता है।

अतः अभियुक्तगण को अवमानक प्रकृति के खाघ पदार्थ वनस्पति मंथन का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त को 50,000 रूपये (पचास हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि तीस दिवस की अवधि के भीतर –भीतर न्याय निर्णय अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाईमाधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करवावे। अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी।आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिए पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 6.7.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवम
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर